




प्रार्थी

रुपनारायण पुत्र जगन्नाथ शर्मा बनाम
जाति ब्राहमण, निवासी लूणवा,
हाल निवासी-नावां सिटी,
तहसील नावां, जिला नागौर

अप्रार्थीगण

1. श्री हरिसिंह शेखावत, तहसीलदार नावां
2. हनुमान प्रसाद पुत्र सूरजमल जाति अग्रवाल
निवासी श्यामगढ़ हाल निवासी नावां सिटी
जिला नागौर
3. कैलाश कुमार पुत्र स्व. गौरीशंकर
4. श्रीमति गायत्री देवी पत्नी स्व. गौरीशंकर
5. सुश्री मंजूश्री पुत्री स्व. गौरीशंकर
6. सुश्री-राजश्री पुत्री स्व. गौरीशंकर
जाति माहेश्वरी महाजन निवासी नावां सिटी
तहसील नावां, जिला नागौर
7. शिवकुमार पुत्र रामेश्वरलाल
8. संजय पुत्र श्यामसुन्दर
9. विजय पुत्र श्यामसुन्दर
10. सुश्री मंजू पुत्री श्यामसुन्दर
11. सुश्री सीमा पुत्री श्यामसुन्दर
12. सुश्री संतोष पुत्री श्यामसुन्दर
13. सुश्री कान्ता पुत्री रामेश्वरलाल
सभी जाति ब्राहमण निवासीगण नावां सिटी
तहसील नावां जिला नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 02 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुकम की तारीख मे जारी हुए
28.01.19	<p>प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार नावां के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या-02/2016 बअनवान हनुमानप्रसाद बनाम कैलाशकुमार वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तथा पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थी जरिफे नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 28.02.2019 को पेश हो।</p> <p> जिला कलक्टर, नागौर</p>	
28 ² / ₁₉	<p>वकील प्रार्थी उप0। गत आदेशानुसार अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तथा पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थीगण जरिफे नोटिस से तलब होकर पत्रावली दिनांक 4/4/19 को पेश हो।</p> <p> कलक्टर, नागौर</p>	
4.4.19	<p>वकील प्रार्थी उप0। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिस पीठारीन अधिकारी के विरुद्ध पेश किया है, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। आदेशिका की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p> कलक्टर, नागौर</p>	